



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1625 वर्ष 2026

मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :

आनंद प्रकाश पांडे, सुनील प्रताप सिंह

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता :

सीएससी, पंकज श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद प्रकाश पांडे, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव की बात सुनी।
- याचिकाकर्ता स्वयं को सेवानिवृत्त कर्मचारी बताता है, जो 30.06.2025 को सहायक क्लर्क (मुख्य सहायक) के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह जीपीएफ का 90% यानी 9,91,145 रुपये प्राप्त करने का हकदार है, जो उसके अनुसार अतिरिक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन के दिनांक 14.01.2026 के पत्र के अनुसार उसे दिया जाना चाहिए।
- दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना चाहिए।
- बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

4 फरवरी, 2026

एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"